भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 637#
दिनांक 12.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के तहत शुरू की गई विशेष योजना

637#. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल जीवन मिशन के अंतर्गत फ्लोराइड युक्त पानी वाले जिलों के लिए अलग से योजना प्रारम्भ की गई है;
(ख) भारत में आर्सेनिक या फ्लोराइड से प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है, छत्तीसगढ़ राज्य सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त में से कितने जिलों को जल जीवन मिशन के तहत फ्लोराइड मुक्त पेयजल दिया जा रहा है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ग): भारत सरकार अगस्त 2019 से, राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल का क्रियान्वयन कर रही है ताकि वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधियों का आबंटन करते समय आर्सेनिक और फ्लोराइड सहित रसायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% भारांक महत्व दिया जाता है। जेजेएम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर आर्सेनिक और फ्लोराइड सहित गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में योजनाएं शुरू करने के लिए भी किया जा सकता है।

जेजेएम के प्रारंभ से ही इसके अंतर्गत जल सुरक्षा एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। तथापि, "जल" राज्य का विषय होने के चलते पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें ही करती हैं।

चूंकि, सुरक्षित जल स्रोत पर आधारित पाइपगत जलापूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन और चालू करने में समय लगता है, अतः पूर्णतः एक अंतरिम उपाय के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि जब तक वैकल्पिक सुरक्षित स्रोतों के माध्यम से सुरक्षित जल का प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक वे विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करें ताकि प्रत्येक परिवार को उनकी पीने और खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की दर से पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसी पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं तथा हस्तक्षेपों के त्वरित कार्यान्वयन की भी सलाह दी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों में संदूषण की निगरानी बसावट-वार की जाती है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पेयजल स्रोतों में फ्लोराइड और आर्सेनिक संदूषण से प्रभावित बसावटों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** है।

*****

अनुबंध

दिनांक 12.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 637# के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पेयजल स्रोतों में आर्सेनिक/फ्लोराइड संदूषण से प्रभावित बसावटों की राज्य-वार संख्या

(07.12.2022 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की संख्या		आर्सेनिक प्रभावित बसावटों की संख्या	
		कुल संख्या	सीडब्ल्यूपीपी से कवर	कुल संख्या	सीडब्ल्यूपीपी से कवर
1.	**छत्तीसगढ**	**168**	**-**	**-**	**-**
2.	झारखंड	2	2	-	-
3.	केरल	5	5	-	-
4.	ओडिशा	39	39	-	-
5.	पंजाब	182	174	522	340
6.	राजस्थान	186	153	-	-
7.	उत्तर प्रदेश	38	38	107	107
8.	पश्चिम बंगाल	42	22	132	112
कुल		**662**	**433**	**761**	**559**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस